भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1604
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना की स्थिति

1604. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) हर घर जल योजना की प्रगति की स्थिति क्या है;
(ख) सरकार द्वारा देश के जलसंकटग्रस्त और सूखा-प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल लागू कर रही है ताकि कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से जल संकट और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य पानी का प्रावधान किया जा सके।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 10.02.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.22 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.02.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.79%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन के तहत निधि का आवंटन करते समय नल जल कनेक्शन की कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए दुर्गम भू-भागों को 30% भारांक महत्व दिया जाता है जिसमें *अन्य बातों*

के साथ-साथ मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।

इसके अलावा, पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे तेजी से लागू करने के लिए, संयुक्त विचार-विमर्श और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य-परिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देने, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि समय-समय पर आयोजित किए जा रहे हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी हेतु मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। इसके अलावा, जल गुणवत्ता परीक्षण और रिपोर्टिंग, पेयजल स्रोतों की निगरानी, स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि का विस्तार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों और स्थानीय ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, एमपी/एमएलए-एलएडी निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 256 जल संकट वाले जिलों में लोगों की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से पेयजल उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, जेएसए-सीटीआर को 2023 में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ लागू किया गया था। इसी तरह, 2024 में, जेएसए को "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के साथ लागू किया गया था, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया था।

*****